चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 11.04.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री डीपी पाल की अध्यक्षता ,उपजिलाधिकारी श्री राम श्रषि रमन की उपस्थिति में थाना मऊ में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जमीन सम्बन्धित विवाद में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी एसओजी निरीक्षक श्री एमपी त्रिपाठी व प्रभारी कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की मंदिर चोरी की 06 घटनाओं का खुलासा ,03 अन्तर्प्रान्तीय चोर व 01 सुनार सहित 04 व्यक्ति गिरफ्तार चोरो की निशादेही पर चोरी गये मुकुट से सम्बन्धित 7 किलो 318 ग्राम चांदी की छोटी बडी सिल्ली, चोरी हुआ हनुमान जी का गदा,आरती की थाली व उनके पास से 65 हजार 700 रुपये नगद, , 01 अदद कटर ,01 अदद सलाई रिन्च ,01 अदद छेनी ,01 अदद व्हील पाना ,चोरी में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.विजय कुमार शुक्ला पुत्र उमादत्त शुक्ला निवासी विमल विहार कॉलोनी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा व मूल पता कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

2.बाबरशाह पुत्र मुन्नाशाह निवासी मोहल्ला अफगानान मंडावर थाना मन्दावर जनपद बिजनौर

3.मोहनलाल पटेल पुत्र मोतीलाल पटेल निवासी धरममुहापुर थाना मंझनपुर कौशाम्बी

4.कामता प्रसाद मौर्य पुत्र छेदीलाल मौर्य निवासी रामनगर कस्बा व थाना खागा जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1.विजय कुमार शुक्ला पुत्र उमादत्त शुक्ला निवासी विमल विहार कॉलोनी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा व मूल पता कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

1.मु0अ0स0 96/97 धारा 457,380,411 आईपीसी (मूर्ति चोरी) थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

2.मु0अ0स0 03/97 धारा 20 एनडीपीएस एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

3.मु0अ0स0 25/2000 धारा 457,380 आईपीसी ,7 व 30 /03 प्राचीन संस्मरण अधिनियम थाना मेडाधार जनपद जबलपुर

4.मु0अ0स0 58/03 धारा 307 आईपीसी व 59/03, 3/25 आर्म्स एक्ट थाना प्रतापनगर जनपद मलिवाड़ा राजस्थान

5.मु0अ0स0 04/04 धारा 302 आईपीसी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

6.मु0अ0स0 29/07 धारा 395 आईपीसी थाना कुठला कटनी म0प्र0

7.मु0अ0स0 178/12 धारा 457 ,380 आईपीसी थाना रहली जनपद सागर म0प्र0

8.मु0अ0सं0-194/2026 धारा-305/331(4)/325 बी0एन0एस0 थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट

9.मु0अ0सं0 19/26 धारा 331(4)/305(डी) बीएनएस थाना मटौंध जनपद बांदा
10.मु0अ0सं0 18/26 धारा 331(1),305 बीएनएस थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट
11 मु0अ0सं0 87/26 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0,
12.मु0अ0सं0 79/26 धारा 305 बीएएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर
13.मु0अ0सं0 51/26 धारा 331(2),305(डी) बीएनएस थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
नोट- यह थाना राजापुर जनपद चित्रकूट का हिस्ट्रीशीटर है। जिसका HS N0- 102 A है जो वर्तमान में लापता चल रहा था।

बाबरशाह पुत्र मुन्नाशाह निवासी मोहल्ला अफगानान मंडावर थाना मन्दावर जनपद बिजनौर
1.मु0अ0स0 375/2015 धारा 363,366 आईपीसी थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0-194/2026 धारा-305/331(4)/325 बी0एन0एस0 थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट
3.मु0अ0सं0 19/26 धारा 331(4)/305(डी) बीएनएस थाना मटौंध जनपद बांदा
4.मु0अ0सं0 18/26 धारा 331(1),305 बीएनएस थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट
5.मु0अ0सं0 87/26 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0,
6.मु0अ0सं0 79/26 धारा 305 बीएएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर
7.मु0अ0सं0 51/26 धारा 331(2),305(डी) बीएनएस थाना पहाडी जनपद चित्रकूट

मोहनलाल पटेल पुत्र मोतीलाल पटेल निवासी धरममुहापुर थाना मंझनपुर कौशाम्बी
1 मु0अ0स0 362/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी
2.मु0अ0स0 124/21 धारा 60 एक्साइज एक्ट थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी
3.मु0अ0स0 163/22 धारा 380,457 आईपीसी थाना हथगवां जनपद प्रतापगढ़
4.मु0अ0सं0-194/2026 धारा-305/331(4)/325 बी0एन0एस0 थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट
5.मु0अ0सं0 19/26 धारा 331(4)/305(डी) बीएनएस थाना मटौंध जनपद बांदा
6.मु0अ0सं0 18/26 धारा 331(1),305 बीएनएस थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट
7.मु0अ0सं0 87/26 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0,
8.मु0अ0सं0 79/26 धारा 305 बीएएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर
9.मु0अ0सं0 51/26 धारा 331(2),305(डी) बीएनएस थाना पहाडी जनपद चित्रकूट

कामता प्रसाद मौर्य पुत्र छेदीलाल मौर्य निवासी रामनगर कस्बा व थाना खागा जनपद फतेहपुर
1.मु0अ0सं0-194/2026 धारा-305/331(4)/325 बी0एन0एस0 थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट
2.मु0अ0सं0 19/26 धारा 331(4)/305(डी) बीएनएस थाना मटौंध जनपद बांदा
3.मु0अ0सं0 18/26 धारा 331(1),305 बीएनएस थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट
4.मु0अ0सं0 87/26 धारा 305(ए),331(4) बीएनएस थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0,
5.मु0अ0सं0 79/26 धारा 305 बीएएनएस थाना खागा जनपद फतेहपुर
6.मु0अ0सं0 51/26 धारा 331(2),305(डी) बीएनएस थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
बरामदगीः-
1. 7 किलो 318 ग्राम चांदी की कुल 14 छोटी बड़ी सिल्ली

2. चोरी हुआ हनुमान जी का गदा
3.आरती की थाली
4. 65 हजार 700 रुपये नगद
5.01 अदद कटर
6. 01 अदद सलाई रिन्च
7. 01 अदद छेनी
8. एक अदद व्हील पाना
9. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्लस

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

बंदरकोल चौकी सीतापुर सडक की बायी पटरी , दिनांक 10.04.2026 समय रात्रि 23.40 बजे

*संक्षिप्त विवरणः- *

घटनाओं का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.2026 को श्री लवलेश दास महाराज जी (महंत) द्वारा भरत मंदिर थाना भरतकूप में मंदिर के गेट का कुण्डा काटकर भगवान की मूर्तियों के 08 चांदी के मुकुट व 01 चांदी का छत्र चोरी होने के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 18/26 धारा 305, 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कराया गया था।

दिनांक 16.03.2026 को वादी मंदिर के पुजारी श्री बृजेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्यामदत्त पाण्डेय निवासी परसौजा द्वारा थाना पहाड़ी में अकेलवा बाबा हनुमान मंदिर के गर्भगृह के दरबाजे का कुण्डी तोडकर चांदी के मुकुट,आभूषण व आरती की थाली चोरी होने संबंधी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 51/26 धारा 331(2), 305(डी) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कराया गया था ।

दिनांक 06.04.2026 को वादी श्री राजनारायण दास मुख्य पुजारी बाल हनुमान मंदिर लोढ़वारा द्वारा मंदिर के गेट की कुण्डी काटकर भगवान के 06 चांदी के मुकुट एवं 01 पीतल की गदा,01 गदा सफेद धातु चोरी होने के संबंध में दी गई तहरीर दी गयी थी जिसके आधार पर मु0अ0सं0 194/26 धारा 305, 325, 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कराया गया था।

तीनो घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सभी घटनास्थलों का निरीक्षण किया गया तथा घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी नगर/अपर पुलिस अक्षीक्षक के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक एसओजी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी, प्रभारी निरीक्षक भरतकूप,थानाध्यक्ष पहाड़ी को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुये टीम गठित की गयी थी। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सभी घटनास्थलों के सीसीटीवी फुटेज,सर्वेलांश तथा मुखबिरान आदि का सहयोग लेकर घटना का सफल अनावरण हेतु गहन पतारसी सुरागरसी की जा रही थी । इसी क्रम में सीसीटीवी फुटेज में एक मोटर साइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति दिखायी पडे थे जिनकी तलाश की जा रही थी कि दिनांक 10-04-2026 को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि दो संदिग्ध व्यक्ति आरोग्य धाम के पास स्थित एक धर्मशाला में रुके हुये हैं, जो गिरोह बनाकर मंदिरों में चोरी कर रहें है तथा चोरी के माल को बेचने की फिराक में हैं। सूचना पर विश्वास कर सभी पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रूप से आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए सर्च अभियान चलाया गया।

इसी दौरान मुखबिर ने बताया कि दोनो संदिग्ध वयक्ति एक मोटर साइकिल से धर्मशाल से निकलकर खोही तिराहा-बंदर कोल मार्ग पर निकले है अगर वहां घेराबंदी की जाये तो पकडे जा सकते है तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये टीम बनाकर मुखबिर द्वारा बताय़े गये स्थान के नजदीक पहुंचे तो देखा कि एक संदिग्ध खडी मोटरसाइकिल पर बैठे दो व्यक्ति बातचीत कर रहे है जिनको घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, पूछतांछ पर एक ने अपना नाम विजय कुमार शुक्ला पुत्र उमादत्त शुक्ला निवासी विमल विहार कॉलोनी थाना सिकन्दरा जनपद आगरा व मूल पता कस्बा व थाना राजापुर जनपद

चित्रकूट दूसरे ने अपना नाम बाबरशाह पुत्र मुन्नाशाह निवासी मोहल्ला अफगानान मंडावर थाना मन्दावर जनपद बिजनौर बताया। तलाशी में दोनों के पास से पीठ पर लिये झोले में नकदी, मोबाइल फोन, चांदी की सिल्लियां, औजार तथा "कुचला" नामक जहरीला पदार्थ बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में बहुत कडाई से पूछतांछ करने पर दोनो बताया कि साहब यहां मंदिरों में हम लोगो द्वारा चोरियां की गयी है ये उसी से सम्बन्धित सामान है तथा चोरी के दौराना कुत्तों से बचने के लिये कुचला जहर लियें हुये है जसे मिठाई में मिलाकर उनको खिलाकर मार डालते है। दोनो के बताया कि हमारे दो साथी और बाहर से गल्ला मंडी कर्वी में आ रहै है उन्ही से मिलने के लिये हमलोग इधर से एकान्त रास्ता पकडकर जा रहे थे और वहां से इकट्ठा होकर आगरा जायेंगे क्योकि वहां चांदी का अच्छा दाम मिल जाता है। तत्काल पकडे गये दोनो व्यक्तियों के निशादेही पर गल्ला मंडी पहुंचने पर दो व्यक्ति और झोला लिये बैठे मिले जिन्हे संयुक्त टीम द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में एक ने अपना नाम बताया मोहनलाल पटेल पुत्र मोतीलाल पटेल निवासी धरममुहापुर थाना मंझनपुर कौशाम्बी बताया तथा दूसरे ने अपना नाम कामता प्रसाद मौर्य पुत्र छेदीलाल मौर्य निवासी रामनगर कस्बा व थाना खागा जनपद फतेहपुर बताते हुये कहा कि में सुनारी का काम करता हूं इन लोगो द्वारा कई मंदिरो का मुकुट व अन्य आभूषण चोरी करके कई महीनो से दिया जा रहा था जिसको मैं गलाकर इन्हे दे देता था। इधर जो हाल में चोरिया हुयी है उसका सामान गलाकर साथ लेकर हम लोग आये थे विजय शुक्ला ने बताया था कि आगरा में हमलोगो को बहुत अच्छा दाम मिला जायेगा। इसलिये हमलोग आज यहां इकट्ठा हुयें थे और विजय शुक्ला व बाबर का इंतजार कर रहे थे।

चारो व्यक्तियों से मौके पर पूछताछ किया गया तो उन्होने बताया कि जनवरी 2026 से अब तक उन्होंने जनपद चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर एवं सतना (म.प्र.) के विभिन्न मंदिरों—मटौंध, भरतकूप, लंका तिराहा, त्रिलोचनपुर, परसौजा एवं लोढ़वारा—में कई चोरी की घटनाएं कारित की हैं। चोरी किए गए चांदी के मुकुट, छत्र एवं अन्य आभूषणों को कामता प्रसाद मौर्य द्वारा गलाकर सिल्लियों में परिवर्तित कर बाजार में बेचा जाता था और प्राप्त धनराशि आपस में बांटी जाती थी।

बरामदगी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त 7 किलो 318 ग्राम कुल 14 चांदी की छोटी बडी सिल्ली, चोरी हुआ हनुमान जी का गदा,आरती की थाली व उनके पास से 65 हजार 700 रुपये नगद, , 01 अदद कटर ,01 अदद सलाई रिन्च ,01 अदद छेनी ,01 अदद व्हील पाना ,चोरी में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया।

घटना के संबंध में थाना खागा (फतेहपुर), थाना मटौंध (बांदा), थाना नयागांव (सतना, म.प्र.) को सूचित कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित की गई।

गिरफ्तार करने वाली स्वाट/सर्विलांस टीम का नाम-

1.SOG/सर्विलांस टीम प्रभारी निरीक्षक श्री एम0पी0 त्रिपाठी
2.मुख्य आरक्षी जितेन्द्र कुशवाहा
3.मुख्य आरक्षी नितेश समाधिया
4.आरक्षी रोहित सिंह
5.आरक्षी गोलु भार्गव
6.आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा
6.आरक्षी पवन राजपूत
9.आरक्षी रोशन सिंह

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह
2.प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह

3.थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह
4.उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह
5.उ0नि0 श्री शनि चतुर्वेदी
6.आरक्षी राहुल देव
7.आरक्षी जयनारायण पटैरिया
8.आरक्षी विपिन कुमार
9.आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह
10.आरक्षी मोहित कुमार
11.आरक्षी चालक दीप प्रताप